न्यायालय - माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर ॥म0प्र0॥

निगरानी 218-II/06

रग्गू तनय गनुवां अहिरवार,

निवासी- ग्राम शाह, तह0 जतारा, जिला टीकमगढ़ ॥म0प्र0॥

.... आवेदक.

// विरूद्ध //

1. काशीराम तनय गनुवां अहिरवार
2. रामकुमार तनय धन्नू अहिरवार

दोनों निवासी- ग्राम शाह, तह0जतारा, जि0टीकमगढ़॥म0प्र0॥

.... अनावेदकगण.

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा- 50 म0 प्र0 भू- राजस्व संहिता.

यह आवेदन पत्र, न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त सागर, संभाग सागर के अपील प्रकरण क्रमांक- 42/अ-6/97-98 में पारित आदेश दिनांक- 22.11.2005 से परिवेदित होकर यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र निम्न प्रमुख तथ्यों व आधारों पर प्रस्तुत है।

॥ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य ॥

1. यह कि, ग्राम करौंली स्थित वादग्रस्त खसरा नं. 559/2 रकबा- 2.809 हेक्टेयर भूमि अपीलार्थी को पट्टे पर प्राप्त हुई भूमि थी, जिसका नामांतरण, नामा0 पंजी क्र0- 43 ग्राम करौंली पर दिनांक- 11.2.84 को अनावेदकगण के नाम दर्ज कर किया गया। संशोधन पंजी क्र0-43 पर दि0- 26.1.84 को कार्यवाही प्रारंभ की गई थी, जिसमें आवेदक के अगूंठा फर्जी लगा लिये गये। संशोधन पंजी में ना तो किसी गवाह के हस्ताक्षर हैं और ना ही उद्घोषणा जारी की गई। जिसके विरूद्ध आवेदक ने प्रथम अपीलीय न्यायालय में अनुविभागीय अधिकारी जतारा के समक्ष अपील प्रकरण क्रमांक - 107/अपील/ 93-94 प्रस्तुत की, जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक- 7.7.97 को निरस्त कर दी।

2. यह कि, अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील श्रीमान अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष आवेदक ने प्रस्तुत की, जिसमें

....2.

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 218–दो/2006 जिला–टीकमगढ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभषक आदि के हस्ताक्षर
6.9.16	आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ उपस्थित. अनावेदक की और से अधिवक्ता श्री आर. एस. सेगर उपस्थित. यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग, द्वारा अपील प्रकरण कमाक 42/अ–6/1997–98 में पारित आदेश दिनांक 22–11–2005 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा –50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है. 2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम करोली स्थित भूमि सर्वे कमांक 559/2 रकबा 2.809 हेक्टर भूमि पर अनावेदकगण द्वारा नामान्तरण पंजी कमांक –43 पर दिनांक 11–02–1984 को अपना नामान्तरण करा लिया गया. जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जतारा के समक्ष अपील प्रकरण कमांक 107/93–94 प्रस्तुत की जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 7–7–1997 द्वारा निरस्त किया गया. लिस अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक 22–11–2005 द्वारा अपील प्रकरण कमांक 42/अ–6/1997–98 में स्थिर रखा गया उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी मध्यप्रदेश भू– राजस्व संहिता 1959 की घारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है.	

3. प्रकरण में उभय पक्षों के अभिभाषकों के तर्को को श्रवण किया गया. आवेदक अभिभाषक द्वार अपने तर्को में पुनरीक्षण आवेदन पत्र में वर्णित आधारों पर बल देते हूए निवेदन किया गया कि अनावेदक द्वारा फर्जी अंगूठा लगा लिये गये है उसे कोई सूचना एवं सुनवायी का अवसर प्रदान नही किया गया है. इस कारण से तीनों अधिनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाये तथा निगरानी आवेदन पत्र स्वीकार किया जाये.

4. अनावेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को मे बताया कि आवेदक को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण की कार्यवाही में सुचना एवं सुनवायी का अवसर दिया गया था तथा उसके द्वारा उक्त कार्यवाही में भाग लेकर अनावेदकगण के नामान्तरण पर अपनी सहमति दर्शाते हूए नामान्तरण पंजी पर अपनी सहमति के स्वरूप निशानी अंगूठा लगाया था. आवेदक के मन में बदनियती आ जाने के कारण उसके द्वारा वर्ष 1984 में किये गये नामान्तरण को 10 वर्ष बाद चुनौती दी गयी अधिनस्थ न्यायालयों न सम्पूर्ण तथ्यों एवं प्रकरण में आयी साक्ष्य पर विवेचना कर आदेश पारित किये गये है जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है तीनों अधिनस्थ न्यायालयों के समवर्ति निष्कर्ष है जिसमें हस्तक्षेप का कोई औचित्य नही है. अतः निगरानी आवेदन पत्र निरस्त किया जाये.

5. उभय पक्षों के अधिवक्ताओ के तर्को एवं प्रकरण में उपलब्ध

अभिलेख का मेरे द्वारा अध्ययन किया गया. जिससे में यह पाता हूँ कि तहसीलदार जतारा द्वारा नामान्तरण पंजी कमांक –43 पर जो नामान्तरण की कार्यवाही की गयी है. उक्त कार्यवाही में आवेदक उपस्थित हुआ है तथा उसके द्वारा अपने हस्ताक्षर भी किये है. यदि वह उक्त कार्यवाही से असहमत था तो उसे तत्काल सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करना चाहिये थी. लगभग 10 वर्षो तक कार्यवाही न करना अपने आप में संदेह उत्पन्न करता है अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील मे उठाये गये आधारो पर विस्तृत विवेचना की गयी है. अतः उस पर पुनः विचार किया जाना न्याय सम्मत नही होगा. तीनों अधिनस्थ न्यायालयों के आदेशों में किसी प्रकार की कोई अनियमिता प्रकट नही होती है इस कारण से इस पुनरीक्षण आवेदन पत्र में उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतित नही होती है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी अस्वीकार की जाती है.तथा तीनो अधिनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाते है. उभय पक्ष सूचित हो. अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति संलग्न कर वापस किया जाये. तथा प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो.

सदस्य